न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/66/2022	2022/122	19.12.2022	30.01.2025

01— बदलू पुत्र श्री लीलाराम
02— शादी पुत्र श्री लीलाराम
03— राम सिंह पुत्र श्री फकीरा
04— अनिल पुत्र श्री बदलू
05— पप्पू पुत्र श्री किशोरी जातियान कुम्हार निवासीयान रघुनाथगढ तह0 नौगांवा जिला अलवर राज0।
06— हमीदा पुत्र मलखा जाति सम्भा नि0 रघुनाथगढ तह0 नौगांवा जिला अलवर राज0।

— अपीलार्थीगण

बनाम

01— रामजीलाल पुत्र श्री मिश्रु जाति चमार
02— श्री पूरण पुत्र श्री सगरू जाति वाल्मीकी निवासीयान रघुनाथगढ तह0 नौगांवा जिला अलवर राज0।

—असल प्रत्यर्थीगण

02— शिव मंदिर कुम्हारो का बास, रघुनाथगढ तह0 नौगांवा जिला अलवर राजस्थान राज्य जरिये पुजारी/संचालक।
03— अमर चन्द पुत्र श्री तेजाराम जाति चमार निवासी जयसिंहपुरा तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

— तरतीबी प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगांवा आदेश दिनांक 18.11.2022 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्त. अधिनियम प्रकरण संख्या 01/2022

उपस्थितः—

01—श्री आशीष खण्डेलवाल —वकील अपी0
02—श्री प्रकाश चन्द सागर —वकील असल प्र0 सं0 1
03—श्री सुरेन्द्र सिंह —वकील तर0 प्र0 सं0 4
04—श्री रविन्द्र यादव —वकील तर0 प्र0 सं0 3

—:: निर्णय ::—

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 18.11.2022 प्रकरण संख्या 01/2022 ग्राम रघुनाथगढ, तहसील नौगांवा जिला अलवर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 1/22 दिनांक 25.04.2022 को अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा आराजी खसरा नंबर 1110 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके रघुनाथगढ तहसील सम्बन्ध में प्रस्तुत किया नौगांवा जिला अलवर के गया था जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या एक का 3/4 हिस्सा व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का 1/4 हिस्सा था जिस पर कब्जा

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

दिलाये जाने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यो व मौके विपरीत जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 18.12.2022 पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के आधार पर चलने योग्य नहीं था। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केवल कृषि योग्य भूमि पर लागू होता है। आवासीय भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने स्वयं अपने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लिखित बहस में यह अंकित किया है कि विवादित आराजी पर शिव मंदिर व मकानात बने हुये। जिस कारण से विवादित आराजी आवासीय भूमि के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जिस पर ग्राम पंचायत रघुनाथगढ व ग्राम विकास अधिकारी रघुनाथगढ के द्वारा आवासीय पट्टा जारी कर दिनांक 24—11—2021 को जारी कर दिया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू ना होकर सिविल राईट लागू हो गये है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पक्षकारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उन्हे सुनवाई किये जाने का अवसर प्रदान नही किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या दो के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र लम्बित रहने के दौरान ही अपनी विवादित आराजी का बेचान तरतीबी प्रत्यर्थी संख्या 4 को कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा ना तो अधिनस्थ न्यायालय में इसके बाबत सूचना दी और ना ही पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत अपनी लिखित बहस में यह स्वयं अंकित किया है कि उसने अपने हिस्से की आराजी को शिव मंदिर को दान किया था जिसको भी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय को आदेश दिनांक 18.11.2022 पक्षकारो के कुसंयोजन के आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक के द्वारा अपने हिस्से की आराजी को शिव मंदिर को दान किया गया हैं। शिव मंदिर के अन्दर विराजित भगवान शिव की कोई जाति या धर्म नहीं है। भगवान शिव सभी जातों में व सभी समाजों में पूजे जाते हैं। जिस कारण शिव जी की कोई जात या पात नहीं है। जिसके आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा काश्तकारी आराजी को खाली कर कब्जा दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो स्वयं इस बात को करते है कि दान पत्र फर्जी व नुमाईशी हो सकता है। परन्तु उसके सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा किसी भी न्यायालय में या किसी भी पुलिस थाने में कोई भी कार्यवाही नही की गई है।

विवादित आराजी खसरा नंबर 1110 रकबा 0.31 हैक्टेयर के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से रिपोर्ट तलब फरमाई गई। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आलौच्य आदेश दिनांक 18—11—2022 पारित किया गया। जबकि रिपोर्ट में भी पटवारी महोदय द्वारा यह अंकित किया गया कि विवादित आराजी पर शिव मंदिर, धर्मशाला, रिहायशी मकान व दुकाने बनी हुई है। जहाँ पर कही पर भी कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि का अंकन नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर आवासीय आराजी हैं जिस पर काश्तकारी अधिनियम लागू ना होकर सिविल नियम व कानून के प्रावधान लागू होते है। जिस कारण भी अधिनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अजमेर (राज०)

न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.2022 अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में यह भी प्रदर्शित नहीं किया गया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के हिस्से की कौनसी आराजी भूमि है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या दो की आराजी भूमि का हिस्सा कौनसा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना ही साक्ष्य लेखबद्ध किये गये और ना ही विवाद्यक तय किये गये केवल मात्र जल्द बाजी में बिना तथ्यो पर गौर करते हुये मौके व तथ्यो के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 18–11–2022 पारित कर दिया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के द्वारा किये गये दान पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा नोटेरी से प्रमाणित रजिस्टर्ड की प्रति भी अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसमें क्रम संख्या 13 दिनांक 28.07.2014 को नोटेरी के रजिस्टर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या एक के द्वारा किये गये दान पत्र का अंकन है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के द्वारा किया गया दान पत्र अवैध व फर्जी नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व रिपोर्ट के मुताबिक उसका आंकलन सही प्रकार से नही कर जल्दबाजी में अपना आलौच्य आदेश दिनांक 18–11–2022 पारित किया गया है। उक्त विवादित आराजी में आवासीय भूमि पट्टा दीपक, कैलाश पुत्र श्री राम सिंह निवासी रघुनाथगढ तथा शादीराम के नाम से आवासीय पट्टा जारी किया गया है। जिस कारण भी विवादित आराजी आवासीय भूमि में परिवर्तित हो चुकी है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पर रह रहे अन्य लोगों को भी प्रार्थना पत्र पक्षकार नही बनाया गया है और ना ही उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हैं जिस कारण पक्षकारो के कुसंयोजन के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के साथ खारिज किये जाने योग्य है। अतः वकील अपी0 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.2022 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

विद्वान वकील रेस्पो0/प्रत्यर्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंटान रामजीलाल पुत्र मिश्रु वाल्मिकी व पूरण पुत्र सगरू जाति बाल्मिकी निवासीयान रघुनाथगढ तह० नौगांवा जिला अलवर द्वारा तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सं. 1/22 दिनांक 25.04.2022 अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 07.02.2023 को इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.31 है0 ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित हैं उक्त आराजी मिन प्रार्थी सं. 1 का 3/4 हिस्सा एवं प्रार्थी सं 02 का 1/4 हिस्सा है।

प्रार्थीगण जो कि अपनी उक्त आराजी से कुछ दूर निवास करते है तथा अप्रार्थीगण जो कि विवादित आराजी के लगते हुए उनके खेते है तथा मकानात बने हुए है उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है जिसे कहने पर भी नहीं हटाते है और उक्त आराजी पर मकानात एवं दुकानात बना लिये है प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं एवं अप्रार्थीगण सामान्य श्रेणी के है जो मिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते हैं एवं मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तथा प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा न0 1110 रकबा 0.31 है0 ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर मिन प्रार्थी को वास्तविक दखल दिलाये जाने का निवेदन किया गया हैं। जिस पर पटवारी हल्का रघुनाथगढ से मौका व राजस्व रिकोर्ड अनुसार रिपोर्ट ली गई। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट आराजी खसरा न0 1110 रकबा 0.31 है० उक्त आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

रामजीलाल पुत्र मिश्रु हिस्सा 3/4 जाति चमार एवं पूर्ण पुत्र सगरू हिस्सा 1/4 जाति भंगी निवासी रघुनाथगढ दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी पर मंदिर धर्मशाला व रिहायशी मकान व कुछ दुकाने बनी हुई हैं उक्त मंदिर धर्मशाला व दुकानें कुम्हार समाज की है कुछ टीनशेड बना हुआ है जो मंदिर के पुजारी को होना बताया है मौके पर उक्त आराजी बदलू, शादी पुत्रान लीलाराम जाति कुम्हार, रामसिंह पुत्र फकीरा जाति कुम्हार, अनिल पुत्र बदलु जाति कुम्हार का रिहायशी मकान बना हुआ है उक्त आराजी में हमीदा पुत्र मल खां जाति सक्का महान के पीछे कुछ जगह पर रिहायशी कर रखी है एवं कुछ आराजी पर अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है एवं प्रार्थी रामजीलाल पुत्र अपना हिस्सा 3/4 को मंदिर के नाम दान पत्र कर रखा हैं। जो कि दिनांक 28.07.2014 का नोटेरी से प्रमाणित है। जिस पर तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान को एससी/एसटी वर्ग में होना पाया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति द्वारा सामान्य श्रेणी के किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से अंतरण किया जाना वैध ना मानते हुए हम प्रार्थीगण के पक्ष में व अपीलान्टान के विरूद्ध दिनांक 18.11.2022 को आदेश पारित करते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित करते हुए भू०अ० निरीक्षक वृत मुबारिकपुर व पटवारी हल्का रघुनाथगढ को पत्र जारी करते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.31 है० ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा से अप्रार्थीगण को बेदखल कर मौके पर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिनांक 18.11.2022 को पारित किये गये। न्यायालय तहसीलदार नौगांवा द्वारा प्रकरण सं. 01/22 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश करते हुए गलत, मनगढंत व विधि विरूद्ध तथ्य दर्ज कर तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.11.2022 को अपास्त किये जाने की गुजारिश की गई है।

तहत न्यायालय नौगांवा द्वारा प्रकरण सं. 1/22 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2022 वैध तरीके से व विधि संगत तरीके से पारित किया गया हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.31 है० वाके ग्राम रघुनाथगढ तह० नौगांवा जिला अलवर में स्थित हैं। जिस आराजी की बाबत राजस्व अभिलेख हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान के हक में खाता सं. 258 जमाबंदी सम्वत 2075–2078 व पूर्व साबिक रिकोर्ड तहत न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किये जा चुके हैं। जिससे यह बखूबी साबित व प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त आराजीयात के हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान ही खातेदार, काश्तकार व स्वामित्वधारी हैं और विवादित आराजी से अपीलार्थीगण का कोई लेना–देना व वास्ता सरोकार किसी प्रकार का नहीं हैं। अपीलार्थीगण ने अपील हाजा में विवादित आराजी व उसके अंश व हिस्सा को काफी समय पूर्व दान में दिया जाना बतलाया गया हैं। जिसका दान पत्र सन् 1992 में शिव मंदिर के लिए दान दिया जाना बताया हैं जबकि हम रेस्पोडेंटान/प्रार्थीगण व हमारे बुजुर्गो द्वारा विवादित आराजी को प्रजापत समाज या अन्य किसी व्यक्ति को कभी कोई दान नहीं किया गया और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में भी साफ अंकित किया हुआ हैं कोई भी एससी/एसटी वर्ग का व्यक्ति किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को किसी भी तरीके से आराजी का अंतरण नहीं कर सकता और ऐसा अंतरण अवैध हैं। जिससे अपीलार्थीगण द्वारा फर्जी व नुमाईशी तौर पर तैयार किये गये दान पत्र से उन्हे को अधिकार हासिल नहीं होते हैं तथा जो दान पत्र अपीलार्थीगण द्वारा पेश किया गया हैं। उस पर किस नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है व अपने रजिस्टर में किस कमांक पर दर्ज किया गया हैं यह अंकित नहीं है तथा जो दान पत्र हैं वह एडेसिव स्टाम्प पेपर पर हैं। जिसे आसानी से फर्जी

अति. रक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

व बनावटी बनाया जा सकता हैं तथा जो दान पत्र मूल अपीलार्थीगण ने जानबुझकर पेश नहीं किया हैं।

यदि अपीलार्थीगण असल दान पत्र अपनी पत्रावली के साथ पेश करते तो अपीलार्थीगण द्वारा फर्जी व कुटरचित दान पत्र बनाया जाना साबित व प्रमाणित पाया जाता हैं। जिससे तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2022 सही हैं। रेस्पोडेंट रामजीलाल के पुत्र शिव लाल द्वारा एक एफआईआर सं. 60/2023 थाना नौगांवा में अन्तर्गत धारा 143, 379, 504, 506 आईपीसी व धारा 3(2) (वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपीगण सुखपाल, प्रीतम, बदलू, अनिल, पप्पू, रामसिंह, हरीया, संदीप, जयहिन्द, जिनमें अपीलार्थीगण शामिल हैं, के द्वारा हम रेस्पोडेंटान की आराजी को लेकर दिनांक 06.02.2023 को हमारी आराजी पर बोये हुए हरे वृक्षो को काटकर चोरी कर ले गये तथा ऐसा करने पर मना करने पर अपीलार्थीगण व उसके अन्य आरोपीगण हिंसक होते हुए जाति सूचक गालियों से अपमानित किया। जिसमें पुलिस थाना नौगांवा द्वारा गलत व झूठे तथ्यों पर व अपीलार्थीगण के दबाव व प्रभाव में आकर एफआर पेश किये जाने पर उक्त एफआर के विरूद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अलवर के समक्ष पेश किया हुआ हैं। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 19.08.2023 वास्ते विचारण नियत हैं। जो तथ्य काबिले गौर श्रीमान हैं। जिस तथ्य से यह बखूबी साबित व प्रमाणित हैं कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण अतिकर्मी हैं और तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2022 विधि सम्वत पारित किया गया हैं। अतः वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील को अपास्त फरमाया जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा, जिला अलवर के द्वारा प्रकरण सं. 01/22 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रघुनाथगढ़ आराजी खसरा नंबर 1110 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौंगावां राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी सम्वत 2075—78 के खाता संख्या 258 खसरा नंबर 1110 रकबा 0.31 हैक्टेयर किस्म बारानी—2 रामजीलाल पुत्र मिश्रु हिस्सा 3/4 जाति चमार एवं पूरण पुत्र सगरू हिस्सा 1/4 जाति भंगी सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इस संबंध में अपीलाण्ट की ओर से एक पंजीकृत विक्रय पत्र दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें रेस्पो0 सं. 2 पूरन पुत्र सगरू द्वारा अपना संपूर्ण 1/4 हिस्सा दिनांक 30.06.22 को अमरचंद पुत्र तेजा को विक्रय कर दिया था। न्यायालय तहसीलदार में 183—बी का प्रार्थना—पत्र दिनांक 25.04.22 को पेश हुआ और निर्णय दिनांक 18.11.22 को हुआ। अर्थात् दौराने प्रार्थना—पत्र 183—बी के लंबित रहते रेस्पो0 सं. 2 द्वारा 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया गा। नवीन क्रेता को द्वारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष कोई उज्रर या आपत्ति कब्जे बाबत् नहीं पेश की। विक्रय दस्तावेज दिनांक 30.06.22 में रेस्पो0 पूरन द्वारा स्वीकार किया गया है कि यह भूमि विवाद रहित है व पाक—साफ है। रेस्पो0 पूरन ने स्वयं का कब्जा बताकर क्रेता अमरचंद को कब्जा संभलाना स्वीकार किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 दिनांक 30.06.2022 को भूमि पर काबिज था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

दिनांक 29.5.24 को एक प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत हुआ जिसमें अप्रार्थी सं. 2 पूरन की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने की दरख्वासत दी गई है। चूंकि, पूरन अपनी संपूर्ण भूमि का विक्रय दि0 30.6.22 को ही अमरचंद को कर चुका है। अतः प्रा0पत्र आ0 22 नि0 4 सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

अ। रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर(राज0)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौंगावां का निर्णय दिनांक 18.11.2022 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)